<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण कः — 97 / 12</u> संस्थापन दिनांकः — 17 / 02 / 12 फाईलिंग नं. 233504000922012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी, आमला (सामान्य), जिला—बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्व

- 1. लक्ष्मण पिता माठू गोंड, उम्र 27 वर्ष
- 2. रमेश पिता मंटू गोंड, उम्र 27 वर्ष
- 3. फागू पिता शिवरतन गोंड, उम्र 28 वर्ष सभी निवासी मोवाड़, थाना आमला, जिला बैतुल (म.प्र.)

.....<u>अभियुक्तगण</u>

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 22.03.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 क एवं च के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 19.05. 2011 को स्थान आर.एफ. 499 मोवाड़ बीट में सागौन के पेड़ को कटाई एवं काटकर गिराते और उसके चारो ओर घेरा बनाकर गोद—गोद कर घेरा छटाई काटछांट करते पाए गये।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि बी.एस. भदौरिया परिक्षेत्र सहायक मोवाड़, हंसाराम चौधरी बीटगार्ड एवं राजेंद्र नागवंशी वन रक्षक को दिनांक 19.05.2011 को प्रातः गश्ती पर आरएफ 499 में कुल्हाड़ी की आवाजें सुनाई दी। जिस पर वे मौके पर पहुंचे जहां तीन व्यक्ति सागौन के पेड़ काट रहे थे एवं कुछ पेड़ मौके पर कटे पड़े थे। जैसे ही वे उनकी तरफ दौड़े तो वे लोग भाग गये लेकिन उन्होंने उन्हें पहचान लिया वे तीन व्यक्ति लक्ष्मण, रमेश एवं फागू जिन्हें आवाज लगाने पर भी वे भाग गये। तत्पश्चात मौके का पंचनामा, जप्तीनामा बनाया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध वन अपराध क. 687/18 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मौके का नजरी नक्शा बनाया गया। जप्तशुद वनोपज का गणना पत्रक तैयार किया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनके कथन लेख

किये गये। विवेचना पूर्ण कर परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर सागौन के पेड़ की कटाई एवं काटकर गिराते और उसके चारो ओर घेरा बनाकर गोद—गोद कर घेरा छटाई काटछांट करते पाए गये ?
- 2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

- 5 हंसाराम चौधरी (अ.सा.—3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह मोवाड़ बीट में बीट गार्ड के पद पर पदस्थ था। घटना के दिन वह डिप्टी साहब, दो चौकीदार और फारेस्ट गार्ड के साथ गश्ती पर गया था। बी.एस. भदौरिया (अ.सा.—4) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह दिनांक 19. 05.2011 को मोवाड़ वन चौकी में उप वन क्षेत्रपाल के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को स्टाफ, हंसाराम चौधरी और तीन चौकीदार के साथ बीट कक्ष क. 499 में गश्ती के लिए गया था। राजेंद्र कुमार राजवंशी (अ.सा.—6) ने न्यायालयीन परीक्षण में वर्ष 2011 में मोवाड़ सर्किल में वन रक्षक के पद पर पदस्थ होना बताते हुए उक्त दिनांक को गश्ती दल के साथ मोवाड़ बीट आरएफ 499 में जाना बताया है।
- हंसाराम चौधरी (अ.सा.—3), बी.एस. भदौरिया (अ.सा.—4) एवं राजेंद्र कुमार राजवंशी (अ.सा.—6) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह भी बताया है कि गश्ती के दौरान उन्हें कक्ष क. 499 से कुल्हाड़ी की आवाज आयी थी। तब वे आवाज की दिशा में आगे बढ़े तो अभियुक्तगण लकड़ी काटते दिखे थे जो उन्हें देखकर भाग गये थे। सागौन की लकड़ियां अभियुक्तगण वहीं पर छोड़कर भाग गये थे। हंसाराम चौधरी (अ.सा.—3) ने यह भी बताया है कि चौकीदार लकड़ी काटने वालों की पीछे भागे थे और उन्होंने वापस आकर बताया था कि अभियुक्त लक्ष्मण, रमेश और फागू ने लकड़ियां काटी थी। बी.एस. भदौरिया (अ.सा.—4) ने भी यह बताया है कि अभियुक्तगण की पहचान चौकीदार बरम् एवं सुरेंद्र ने की थी।

हंसाराम चौधरी (अ.सा.—3) ने यह बताया है कि मौके पर सागौन के 4—5 झाड़ कटे हुए थे और कटी हुई लकड़ियां मौके पर ही पड़ी हुई थी। मौके का पंचनामा बी.एस. भदौरिया (अ.सा.—4) के द्वारा तैयार किया गया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उसके द्वारा मौके से 17 नग लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी—2) तैयार किया गया था एवं जप्तशुदा वन उपज की सूची (प्रदर्श पी—3) तैयार की गयी थी। बी.एस. भदौरिया (अ.सा.—4) ने मौके का पंचनामा तैयार करना एवं राजेंद कुमार राजवंशी (अ.सा.—6) ने बी.एस. भदौरिया द्वारा तैयार किये गये पंचनामे पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। हंसाराम चौधरी (अ.सा.—3), बी.एस. भदौरिया (अ.सा.—4) ने यह भी बताया है कि वे अभियुक्तगण को ढूंढने के लिए गये थे परंतु अभियुक्तगण ने मिले तब फरारी पंचनामा (प्रदर्श पी—8) एवं प्रदर्श पी—9 तैयार किया गया था जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। हंसाराम चौधरी (अ.सा.—3) ने यह भी बताया है कि दिनांक 19.05.2011 को पीओआर क. 68718 जारी किया गया था जो कि प्रदर्श पी—10 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी बरमू (अ.सा.—1) एवं सुरेंद्र (अ.सा.—2) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। दोनों ही साक्षीगण ने अपने समक्ष मौका पंचनामा, जप्ती पत्रक, वनोपज की सूची एवं ठूठ मिलान पंचनामा तैयार किये जाने से इनकार किया है परंतु उपर्युक्त दस्तावेजों पर साक्षीगण ने अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा उपर्युक्त साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं तथा प्रतिपरीक्षण में साक्षीगण ने बचाव द्वारा सुझाव दिये जाने पर यह बताया है कि उन्होंने कोरे कागजों पर हस्ताक्षर किये थे उनके समक्ष कोई लिखापढ़ी नहीं हुई थी। उपर्युक्त दोनों साक्षीगण ने वन विभाग को दिये गये अपने कथनों से भिन्न कथन न्यायालय में प्रकट किये हैं। अतः साक्षीगण विश्वसनीय नहीं रह जाते हैं और उन पर विश्वास किया जाना सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है।

9 रामचंद्र कवड़े (अ.सा.—5) ने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में वर्ष 2011 में मोवाड़ सर्किल में परिक्षेत्र सहायक के पद पर पदस्थ रहते हुए दिनांक 05.07. 2011 को अभियुक्तगण का पीआरओ का अपराध अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 06.07.2011 को अभियुक्तगण का पता लगाया जाना एवं उनका पता चलने पर वन चौकी साथ लेकर आना बताया है। साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि उसके द्वारा अभियुक्तगण के बयान दर्ज किये गये थे और जुर्माना देने की प्रत्याशा में अभियुक्तगण को समय भी दिया गया था। दिनांक 22.01.2012 को उसके द्वारा संबंधित गवाहों के बयान दर्ज कर मोवाड़ बीट के कक्ष क. 499 में जाकर ठूठों की गोलाई का मिलान कर नजरी नक्शा (प्रदर्श पी—16) तैयार किया गया था तथा साक्षी ने यह बताया है कि दिनांक 30.11.2011 को उसके द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने के उपरांत मौका पंचनामा (प्रदर्श पी—1) पर उनके हस्ताक्षर लिये गये था तथा तत्पश्चात उसके द्वारा पंचनामे पर हस्ताक्षर

किये गये थे तथा अभियुक्तगण का गिरफ्तारी पंचनामा (प्रदर्श पी—12) तैयार किया गया था तथा उनकी तलाशी लेकर तलाशी पंचनामा (प्रदर्श पी—13) तैयार किया था।

- 10 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि मौके पर अभियुक्तगण नहीं मिले थे इसलिए अभियोजन यह स्थापित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा ही सागौन की वृक्षों को काटा गया था। अतः अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जावे। जबिक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।
- 11 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में बरमू (अ.सा.—1) एवं सुरेंद्र (अ.सा.—2) ने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्तगण को पहचानना प्रकट किया है परंतु अपने समक्ष अभियुक्तगण से किसी भी कार्यवाही का किया जाना इनकार किया है तथा इस बात से भी इनकार किया है कि उनके द्वारा मौके पर अभियुक्तगण को पहचान लिया गया था परंतु साक्षी सुरेंद्र (अ.सा.—2) ने घटना दिनांक को वन विभाग वालों के साथ मोवाड़ जंगल में जाना बताया है तथा जंगल से लकड़ियां जप्त किया जाना भी बताया है।
- बी.एस. भदौरिया (अ.सा.-4) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया 12 है कि जैसे ही वे लोग मौके पर पहुंचे थे तुरंत अभियुक्तगण भाग गये थे परंतु उन्हें चौकीदार बरम् एवं सुरेंद्र ने पहचान लिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उसके द्वारा अभियुक्तगण को नहीं देखा गया था। स्वतः में साक्षी ने यह कहा है कि उसने अभियुक्तगण को देखा था लेकिन पहचान नहीं पाया था। पहचान चौकीदार ने बतायी थी। राजेंद्र कुमार राजवंशी (अ.सा.–6) ने भी यह बताया है कि मौके पर अभियुक्तगण सागौन के पेड़ काटते मिले थे परंतु उन्हें देखते ही अभियुक्तगण भाग गर्ये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि वह अभियुक्तगण को नाम से नहीं जानता था। साक्षी ने इस सुझाव को भी गलत बताया है कि अभियुक्तगण क्या कर रहे थे उसने नहीं देखा था। यद्यपि हंसाराम चौधरी (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि मौके पर उनके पहुंचने पर अभियुक्तगण भाग गये थे, कटी हुई लकड़ियां वहीं पड़ी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसने अभियुक्तगण को नहीं देखा था और न ही वह उन्हें पहचान सकता है परंतु साक्षी ने यह भी बताया है कि जैसे ही वे घटना स्थल पर पहुंचे थे तो पेड़ कटे हुए मिले थे।
- 13 हंसाराम चौधरी (अ.सा.—3), बी.एस. भदौरिया (अ.सा.—4), राजेंद्र कुमार राजवंशी (अ.सा.—6) ने यह बताया है कि जैसे ही वे लोग मौके पर पहुंचे थे तो अभियुक्तगण भाग गये थे। साक्षीगण का यह कथन स्वाभाविक है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति वन क्षेत्र में प्रवेश करके अवैध कृत्य करे तो वह वन अमले को

देखकर भागने का प्रयास ही करेगा। वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा तत्काल पश्चात मौके का पंचनामा तैयार किया गया है। साथ ही जो लकड़ियां अभियुक्तगण द्वारा छोड़ दी गयी थी उनका जप्ती पंचनामा तैयार किया गया है। अभिलेख पर ऐसी कोई भी साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्तगण की वन विभाग के कर्मचारियों से रंजिश हो जिससे कि उन्हें मिथ्या आलिप्त किया जा सके। साक्षी बी.एस. भदौरिया और राजेंद्र कुमार राजवंशी ने अभियुक्तगण को मौके पर ही पहचानना बताया है। तब ऐसी परिस्थितियों में साक्षी हंसाराम चौधरी, बी.एस. भदौरिया, राजेंद्र कुमार राजवंशी एवं रामचंद्र कवड़े की साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार प्रकट नहीं होता है तथा यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्तगण मोवाड़ बीट में सागौन की पेड़ों की कटायी कर रहे थे।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

14 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर सागौन के पेड़ की कटाई एवं काटकर गिराकर और उसके चारो ओर घेरा बनाकर गोद—गोद कर घेरा छटाई काटछांट की। फलतः अभियुक्तगण लक्ष्मण, रमेश एवं फागू को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 क एवं च के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

15 अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:— दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थिगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

वण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है तथा तीनों अभियुक्तगण आदिवासी होकर उनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है। अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध विनिर्दिष्ट वनोपज सागौन की कटाई छटाई करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उन्हें अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

17 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा विनिर्दिष्ट वनोपज सागौन की अवैध रूप से कटाई छटायी करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्तगण अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली—भांति सक्षम थे, अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय—संगत नहीं है।

18 अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण आदिवासी परिवार के अशिक्षित व्यक्ति हैं तथा अभियुक्तगण वर्ष 2012 से निरंतर विचारण का सामना कर रहे हैं। अप्रत्य क्ष रूप से अभियुक्तगण पर्याप्त सजा भुगत चुके हैं। अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्तगण को केवल न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किए जाने में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्तगण को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 क एवं च के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500/—500/— रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिकृम में किया जाता है तो उन्हें 15—15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

19 प्रकरण में जप्तशुदा सागौन की लकड़ी के संबंध में दिनांक 06.05. 2015 को विक्रय कर राशि शासकीय कोषालय में जमा करने के संबंध में आदेश किया जा चुका है।

20 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

21 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)